राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में समावेशी शिक्षा हेतु किए गए प्रगतिशील सुधार

सत्यम कुमार*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी.), शिक्षा में प्रगतिशील सुधार की एक आधारशिला है जिसका उद्देश्य 21वीं सदी की शैक्षिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत की शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाकर उसे एक नवीन रूप देना है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता है। यह नीति न्यायसंगत तथा सुलभ शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो दिव्यांग बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) को उनकी विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करते हुए मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करती है। इस लेख में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य प्रावधानों में अनुरूप पाठ्यक्रम का विकास, समावेशी प्रथाओं के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, सहायक प्रौद्योगिकियों का उपयोग तथा संसाधन केंद्रों की स्थापना आदि से जुड़ी विषयवस्तु को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समस्याओं की शीघ्र पहचान और उनके समाधान पर अधिक बल देती है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प.) के संयुक्त तत्वाधान में निर्मित नेशनल गाइडलाइंस एंड इम्प्लिमेंटेशन फ्रेमवर्क ऑन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन (एन.जी.आई.एफ.ई.आई.ई.) आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016, समग्र शिक्षा के क्रियान्वयन की रूपरेखा, भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) के पहल एवं केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.) की डिजिटल प्रयासों को इस लेख में शामिल किया गया। यह लेख समावेशी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण की पड़ताल करता है तथा पहचान करता है। इसके साथ ही, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समावेशी शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए कार्यवाही योग्य रणनीतियों का सुझाव देता है। प्रस्तुत लेख में शिक्षा से जुड़े सभी सहभागियों व हितधारकों की ज़िम्मेदारी का भी उल्लेख किया गया है।

समावेशी शिक्षा ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में एक बुनियादी कदम है जो विविधता को महत्त्व देता है तथा सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। यह दिव्यांगों को मुख्यधारा में लाने के लिए एक सहायक वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है जहाँ प्रत्येक बच्चा अपनी शारीरिक, बौद्धिक या भावनात्मक चुनौतियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ सके तथा जीवन में ऊँचाइयों को प्राप्त कर सके। समावेशी शिक्षा सहानुभूति, सहयोग तथा समझ को बढ़ावा देती है, जिससे न केवल विशेष आवश्यकता

**सहायक आचार्य*, इतिहास विभाग पटना वीमेंस कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय पटना, बिहार 800001

वाले विद्यार्थियों को बल्कि उनके साथियों व समाज को भी लाभ होता है। समावेशिता की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचानते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 सभी के लिए समान शिक्षा की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह शिक्षा नीति दिव्यांग बच्चों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करने के महत्त्व पर बल देती है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग के माध्यम से प्रणालीगत बाधाओं को दूर करना और विद्यार्थी अनुकूल वातावरण स्थापित करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) तथा सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) में निहित शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को सशक्त बनाने पर बल देती है। इसका एक अन्य उद्देश्य ऐसा शैक्षिक ढाँचा तैयार करना भी है जो सभी के लिए स्वीकृति तथा अवसर की संस्कृति का विकास करता है। इस संदर्भ में *समग्र शिक्षा फ्रेमवर्क कार्यान्वयन 2022* भी विद्यालयी शिक्षा के लिए एक एकीकृत तथा समग्र दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जो समावेशी शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत पर केंद्रित है। यह फ्रेमवर्क राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसाओं को आधार मानकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच पर बल देता है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ-साथ, भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) के कार्यों की महत्ता को भी समझा जा सकता है। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या विकास, विनियमन एवं प्रत्ययन तथा जागरूकता पर विशेष बल दिया जाता है। इन विभिन्न प्रयासों के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के अधिकारों तथा आवश्यकताओं को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) की डिजिटल पहल भी सभी के लिए विशेषकर दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु समावेशी एवं समान शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, शैक्षणिक प्रथाओं के साथ एकीकृत करके, सी.आई.ई.टी., रा.शै.अ.प्र.प. इन विद्यार्थियों की विविध शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करता है, जिससे उनके शैक्षिक तथा व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य प्रावधान तथा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक समावेशी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो दिव्यांग बच्चों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करती है। यह नीति समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान करने हेतु सक्षम तंत्र बनाने के महत्त्व को भी पहचानती है। शिक्षा में समानता एवं पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की प्रमुख अनुशंसाओं का विवरण इस प्रकार है—

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के मूलभूत चरणों के दौरान दिव्यांगताओं और सीखने की

चुनौतियों की पहचान करने के लिए प्रारंभिक जाँच पर बल देती है। एन.ई.पी. 2020 सुझाव देती है कि कम उम्र से ही विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु पेशेवर परामर्शदाताओं और विशेष शिक्षकों सहित सहायता प्रणालियाँ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

2. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना और उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक स्तर से उच्चतर स्तर तक की शैक्षिक प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 (आर.पी.डब्ल्यू. डी., एक्ट 2016) समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहाँ सामान्य और दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण व सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है कि वह प्रत्येक बच्चे की सामान्य अथवा विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हों। यह नीति, आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है तथा विद्यालयी शिक्षा के संबंध में इसके द्वारा प्रस्तावित सभी अनुशंसाओं को पूरा करती है। विद्यालयी शिक्षा के लिए *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023* तैयार करते समय रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा दिव्यांगजन विभाग के साथ परामर्श सुनिश्चित करना आवश्यक किया गया है। (एन.सी.एफ.एस.ई. 2023,अनुच्छेद 6.10)

3. समावेशी पाठ्यचर्या रूपरेखा के माध्यम से विभिन्न सीखने की क्षमताओं को समायोजित करने के लिए तैयार किए गए लचीले पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया है, जिसमें विद्यालयों को विशेष विद्यार्थियों के लिए अनुकूलित सहायता प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएँ (आई.ई.पी.) विकसित करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम इस मार्ग में सहायक सिद्ध होगा।

4. शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता विकास नीति सेवा-पूर्व और सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से समावेशी प्रथाओं में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के महत्त्व पर प्रकाश डालती है। शिक्षकों को विविध कक्षाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने के कौशल से परिपूर्ण करने के लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रस्तुत किए जाने के प्रावधान है। (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, भाग 1, अध्याय 6, अनुच्छेद 6.14)

5. दिव्यांग बच्चों की पहुँच सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक बच्चे के साथ एक शिक्षक, सहपाठी शिक्षण, नि:शुल्क विद्यालयी शिक्षा, उचित बुनियादी ढाँचा और उपयुक्त तकनीक का प्रयोग विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है। (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, भाग 1, अध्याय 6, अनुच्छेद 6.5)

6. सहायक प्रौद्योगिकी और डिजिटल समावेशन में दिव्यांग बच्चों के लिए सीखने में सहायता हेतु सहायक प्रौद्योगिकियों और डिजिटल उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दी जाती

है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर सामग्री को सुलभ बनाने हेतु डिज़ाइन किया जाएगा, जिसमें टेक्स्ट-टू-स्पीच और आवाज़ पहचानने जैसी सुविधाएँ शामिल होंगी।

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने हेतु समान अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने के महत्त्व को भी पहचानती है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, भाग 1, अध्याय 6, अनुच्छेद 6.2.5)।

8. विद्यालय का बुनियादी ढाँचा और पहुँच हेतु *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार विद्यालय भौतिक और डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ़ लर्निंग (यू.डी.एल.) का पालन किया जाए। इस प्रावधान के अंतर्गत रैंप, सुलभ शौचालय और बाधा मुक्त बुनियादी ढाँचे के प्रावधान पर ज़ोर दिया गया है। दरअसल, साल 2023–24 के UDISE+ (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फ़ॉर एजुकेशन प्लस) रिपोर्ट के अनुसार देश के 14.72 लाख विद्यालयों में पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक में पढ़ने वाले 24 करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों में से 21.14 लाख बच्चे किसी ना किसी तरह की दिव्यंगता की श्रेणी में आते हैं। लेकिन केवल 32.2 प्रतिशत विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फंक्शनल टॉयलेट्स या रैंप जैसी सुविधाएँ हैं।

9. इसके लिए दिव्यांग विद्यार्थियों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिसरों की वित्तीय मदद की दृष्टि से सुस्पष्ट व कुशल प्रावधानों की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ यह भी ध्यान दिया जाएगा कि विद्यालय परिसरों में दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकता से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। साथ ही गंभीर अथवा एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए गाँव या ब्लॉक स्तर, जहाँ भी आवश्यकता हो, एक संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम के अनुरूप विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहुँच बाधा मुक्त संरचनाओं (भवन इत्यादि) के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के अनुरूप विद्यालय अथवा विद्यालय परिसर कार्य करेंगे जिससे प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप मदद सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त प्रणाली विकसित की जाएगी ताकि कक्षा कक्ष में उनकी पूर्ण प्रतिभागिता व समावेशन सुनिश्चित किया जाए। कक्षा में शिक्षकों व अन्य सहपाठियों के साथ आसानी से जुड़ने के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों को कुछ सहायक उपकरण, उपयुक्त तकनीक आधारित उपकरण, भाषा उपयुक्त शिक्षण सामग्री (जैसे— बड़े प्रिंट तथा ब्रेल प्रारूपों में सुलभ पाठ्य पुस्तकें) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाएँ जाएँगे। यह कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी विद्यालयी गतिविधियों पर भी लागू होगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) भारतीय संकेत भाषा सिखाने के लिए और भारतीय संकेत भाषा

का उपयोग करके अन्य बुनियादी विषयों को सिखाने के लिए उच्चतर-गुणवत्ता वाले मॉड्यूल विकसित करेगा। साथ ही दिव्यांग विद्यार्थियों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, भाग 1, अध्याय 6, अनुच्छेद 6.11)।

10. आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 के अनुसार मूल दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के पास नियमित या विशेष शिक्षा का विकल्प होगा। विशेष शिक्षकों के माध्यम से स्थापित संसाधन केंद्र, गंभीर अथवा एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के पुनर्वास व शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं में मदद करेंगे एवं साथ ही उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा घर में ही (होम स्कूलिंग) उपलब्ध करने, कौशल विकसित करने की दिशा में उनके माता-पिता/अभिभावकों को भी मदद करेंगे। विद्यालय जाने में असमर्थ गंभीर और गहन दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों हेतु गृह-आधारित शिक्षा के रूप में एक विकल्प उपलब्ध रहेगा। गृह-आधारित शिक्षा के तहत शिक्षा ग्रहण रहे विद्यार्थियों को अन्य सामान्य प्रणाली में शिक्षा ले रहे किसी भी अन्य बच्चे के समतुल्य माना जाएगा। गृह-आधारित शिक्षा की प्रभावशीलता की जाँच हेतु समता व अवसर की समानता के सिद्धांत पर आधारित लेखांकन कराया जाएगा। आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 के अनुरूप इस लेखांकन के आधार पर गृह-आधारित विद्यालयी शिक्षा के लिए दिशा-निर्देश और मानक विकसित किए जाएँगे (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, भाग 1, अध्याय 6, अनुच्छेद 6.12)।

11. संसाधन केंद्र और सहायता प्रणाली के अंतर्गत विद्यालयों को क्षेत्रीय संसाधन केंद्रों द्वारा समर्थित किया जाएगा जो विशेष शिक्षा में विशेषज्ञ हैं। अतिरिक्त सहायता सेवाएँ प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। चूँकि सामान्य रूप से प्रदान की जाने वाली शिक्षा सभी विद्यालयों में अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए गैर-सरकारी संगठन उनके लिए विद्यालयों के रूप में भी कार्य करते हैं। गैर-सरकारी संगठन दिव्यांग विद्यार्थियों के जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुछ गैर-सरकारी संगठनों के उदाहरण अग्रलिखित हैं, जैसे— दिल्ली में कार्यरत 'दीपालया', भारत के दक्षिण भाग में कार्यरत 'क्रिश्चियन ब्लाइंड मिशन (सी.बी.एम.) इंडिया ट्रस्ट', राजस्थान में सेवा देने वाला 'नारायण सेवा संस्थान', कर्नाटक में 1959 से संचालित 'एसोसिएशन ऑफ़ पीपल विद डिसेबिलिटी' इत्यादि कुछ गैर-सरकारी संगठन प्रमुख हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 'अमर ज्योति संस्थान' कड़कड़डूमा दिल्ली का भी कार्य सराहनीय है।

12. माता-पिता तथा समुदाय की भागीदारी हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा प्रक्रिया में माता-पिता तथा देखभाल करने वाले अन्य व्यक्तियों को शामिल करने के महत्त्व को

रेखांकित करती है। हीन भावना को कम करने और समावेशिता को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रावधान है। इन प्रावधानों को लागू करके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य भारत की शिक्षा प्रणाली को ऐसी प्रणाली में बदलना है जो विशेष आवश्कताओं वाले विद्यार्थियों को सशक्त बनाती है, उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने और समाज में सक्रिय रूप से योगदान करने में सक्षम बनाती है।

आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016

इस विषय में अगर आगे देखा जाए तो आर.पी. डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 अत्यंत महत्त्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत होता है। यह एक व्यापक भारतीय कानून है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है। इसने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन (यू.एन.सी. आर.पी.डी.) के अनुरूप, पहले के दिव्यांग व्यक्तियों के अधिनियम, 1995 (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) को प्रतिस्थापित किया है। यह अधिनियम 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की पहचान करता है जो कि 1995 के अधिनियम में वर्णित दिव्यांगताओं की 7 श्रेणियों से अलग हैं। यह 21 प्रकार की दिव्यांगताएँ हैं— दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, श्रवण दोष, वाक् और भाषा दिव्यांगता, लोकोमोटर दिव्यांगता, बौनापन, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, माँसपेशीय दुर्विकास, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता, मल्टीपल स्केलेरोसिस, थैलेसीमिया, हेमोफिलिया, स्किल सेल रोग, बहु निःसक्कता, एसिड अटैक पीड़ित, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, पार्किंसंस रोग।

इन दिव्यांगताओं के साथ यह अधिनियम सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन हेतु 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। जब अधिकार और पात्रता की बात की जाए तो यह अधिनियम रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे सभी क्षेत्रों में समानता, गैर-भेदभाव और पहुँच सुनिश्चित करता है। 18 वर्ष की आयु तक दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। यह अधिनियम सार्वजनिक भवनों, परिवहन, सूचना और संचार प्रणालियों को सुलभ बना कर वहाँ तक दिव्यांगजनों की पहुँच को सुनिश्चित करता है। दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता के साथ कानूनी निर्णय लेने की अनुमति देने के लिए "सीमित संरक्षकता" की अवधारणा का परिचय देता है। यह अधिनियम कार्यान्वयन की निगरानी के लिए दिव्यांग व्यक्तियों हेतु मुख्य आयुक्त सहित राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इस अधिनियम द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने, उनकी गरिमा सुनिश्चित करने तथा उन्हें पूरी तरह से समाज में एकीकृत करने पर ज़ोर दिया जाता है। यह समावेशिता और समानता की ओर एक प्रगतिशील कदम है। इस अधिनियम के उल्लंघन, जैसे— भेदभाव या गैर-अनुपालन, की दशा में कानूनी दंड की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है।

समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन की रूपरेखा 2022

समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन की रूपरेखा 2022, भारत में विद्यालयी शिक्षा के लिए एक एकीकृत और

समग्र दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करता है। इसमें विद्यालयी पूर्व से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक को शामिल किया गया है। समावेशी शिक्षा इस रूपरेखा का एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जो शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम 2009, आर.पी. डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 और एन.ई.पी. 2020 के प्रावधानों के अनुरूप, विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों, विशेषरूप से दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच पर ज़ोर देती है।

समग्र शिक्षा रूपरेखा में समावेशी शिक्षा के उद्देश्य मुख्य रूप से सार्वभौमिक पहुँच, समानता का पालन और एकीकरण की अवधारणा लिए हुए हैं। इसमें सार्वभौमिक पहुँच यह सुनिश्चित करती है कि दिव्यांग विद्यार्थियों सहित सभी विद्यार्थियों को नि:शुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति हो सके। समानता से तात्पर्य यह है कि हाशिए पर रहने वाले समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करके शिक्षा में आने वाली बाधाओं को कम करें और एकीकरण का अर्थ यहाँ यह हुआ कि एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जहाँ सभी बच्चे एक साथ सीखें, विविधता का सम्मान करें और आपसी समझ को विकसित करें।

समग्र शिक्षा की रूपरेखा में भी मूलभूत सभी विचार वैसे ही हैं जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य प्रावधानों मे वर्णित हैं। इनमें पहचान तथा मूल्यांकन, बुनियादी ढाँचा एवं पहुँच, शिक्षकों का क्षमता निर्माण, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण सामग्री, दिव्यांग सहायता प्रणाली और निगरानी एवं मूल्यांकन इत्यादि शामिल हैं।

अतः समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन की रूपरेखा 2022 का समावेशी शिक्षा घटक एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समायोजित करती है। हालाँकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, परंतु निरंतर प्रयास, सामुदायिक भागीदारी और अंतर-विभागीय सहयोग के साथ प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कर वास्तव में समावेशी शैक्षिक वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं।

समतामूलक और समावेशी शिक्षा पर दिशा-निर्देश

शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग (डी.ई.जी.एस.एन.) ने भारत में समान और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। ये दिशा-निर्देश शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम, 2016 के सिद्धांतों के अनुरूप हैं, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा दिव्यांग सहित हाशिए पर स्थित समूहों के विद्यार्थियों हेतु सुलभ, न्यायसंगत और समावेशी हो। ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं —

- सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, लिंग या दिव्यांगता की परवाह किए बिना सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित हो। इस प्रयास में विद्यालय न जाने वाले विद्यार्थियों, विशेष रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के विद्यार्थियों के नामांकन पर ज़ोर दिया जाना चाहिए।
- समावेशी पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र पाठ्यचर्या डिज़ाइन के द्वारा एक ऐसा

पाठ्यक्रम विकसित करे, जो समाज की विविधता को दर्शाता हो विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और क्षमताओं के लिए सम्मान को बढ़ावा देता हो। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) के लिए उपचारात्मक शिक्षण और मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीके प्रदान करे।

- सभी विद्यालय सुनिश्चित करें कि बाधा-मुक्त बुनियादी ढाँचा, जैसे— रैंप, रेलिंग और सुलभ शौचालय आदि विद्यालय में उपलब्ध हों। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए स्पर्श पथ प्रदर्शक और संकेत, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए श्रवण लूप और सहायक श्रवण उपकरण तक पहुँच सुनिश्चित करते हुए बाधा-मुक्त डिजिटल बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा दें।
- विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पहचानें और संबोधित कर शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आवश्यक है। समावेशी शिक्षण युक्तियों और सहायक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ-साथ 'निष्ठा' जैसी पहल के तहत समावेशी शिक्षा पर सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करें। विद्यालयों में विशेष शिक्षक की भर्ती और तैनाती को प्रोत्साहित करें।

यह दिशा-निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं जो इस बात पर बल देते हैं कि दिव्यांग विद्यार्थियों सहित सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित हो। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का एकीकरण हो। यह दिशा-निर्देश न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मज़बूत ढाँचा प्रदान करते हैं। इन पहलों का उद्देश्य प्रणालीगत, ढाँचागत तथा शैक्षणिक बाधाओं को दूर करके शिक्षा प्रणाली को एक ऐसी प्रणाली में बदलना है जो वास्तव में सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी और सशक्त हो।

केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प. की पहल

रा.शै.अ.प्र.प. का केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.) दिव्यांग विद्यार्थियों सहित अन्य सभी विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सी.आई.ई.टी. की डिजिटल पहल का उद्देश्य विविध शिक्षण आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले संसाधन, उपकरण और मंच प्रदान करके शिक्षा तक समान और समावेशी पहुँच सुनिश्चित करना है जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आर.पी.डब्ल्यू.डी.) अधिनियम 2016 में कल्पना की गई है।

दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु सी.आई.ई.टी. की प्रमुख डिजिटल पहल

1. 'ई-पाठशाला' एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो सभी ग्रेड और विषयों के लिए ई-पाठ्यपुस्तकों, ऑडियो पुस्तकों, वीडियो और इंटरैक्टिव सामग्री तक पहुँच प्रदान करता है। यहाँ सुलभ सामग्री श्रव्य और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त प्रारूपों में उपलब्ध है जिसमें सांकेतिक भाषा व्याख्या के साथ ऑडियो

फ़ाइलें और वीडियो शामिल हैं। यह सभी संसाधन कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं।

2. 'दीक्षा' विद्यालयी शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है, जो शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा अभिभावकों हेतु डिजिटल सामग्री का भंडार प्रस्तुत करता है। यहाँ सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन अर्थात् यूनिवर्सल डिज़ाइन फ़ॉर लर्निंग (यू.डी.एल.) सिद्धांतों के साथ संरेखित सामग्री विविध शिक्षार्थियों हेतु उपलब्ध है।
3. 'निष्ठा', समग्र शिक्षा के तहत शिक्षकों हेतु एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। इसमें दिव्यांगों की सहायता हेतु समावेशी शिक्षा पर प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए डिजिटल संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
4. सी.आई.ई.टी. ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विद्यालयी पाठ्यक्रम को सुलभ बनाने हेतु *बरखा* अध्ययन श्रृंखला तैयार की है।
5. 'प्री-असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल' (PRASHAST) पहल में एक मोबाइल ऐप और एक पुस्तिका शामिल है, जो दिव्यांग विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग करती है। यह ऐप दिव्यांग विद्यार्थियों को पहचान करने में मदद करता है।
6. *इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन 2020* में वर्णित है कि सी.आई.ई.टी. ने महामारी कोविड-19 के दौरान डिजिटल शिक्षण समाधानों के निर्माण में योगदान दिया। दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु अनुकूलित ऑनलाइन कक्षाएँ आयोजित कर सहायक उपकरणों के साथ संसाधन किट का विकास किया एवं उन तक पहुँच सुनिश्चित की।
7. समावेशी प्रथाओं के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) पुरस्कार प्रदान करना एक अन्य पहलू है जिसमें सी.आई.ई.टी. उन शिक्षकों को मान्यता देता है जो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवीन आई.सी.टी. प्रथाओं का उपयोग करते हैं और दूसरों को समान दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।
8. ऑडियो और रेडियो कार्यक्रम द्वारा सी.आई.ई.टी. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों या दूरदराज के क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट पहुँच वाले विद्यार्थियों तक पहुँचने के लिए ऑल इंडिया रेडियो और पॉडकास्ट जैसे रेडियो चैनलों का उपयोग करता है। यह कार्यक्रम दिव्यांग विद्यार्थियों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं।
9. दिव्यांगों हेतु साइबर सुरक्षा जागरूकता के अंतर्गत सी.आई.ई.टी. दिव्यांग विद्यार्थियों को सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करता है। इसके साथ ही, संसाधन विकसित करता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तक सुरक्षित रूप से पहुँच सकें।
10. सी.आई.ई.टी. द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों की सहायता के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, डिस्लेक्सिया से पीड़ित विद्यार्थियों को कक्षा में कैसे शामिल किया जाए।

11. सी.आई.ई.टी. ने दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु स्पर्शनीय मानचित्र पुस्तकें विकसित की हैं इन उभरे हुए मानचित्रों को स्पर्श करके समझने में आसान होता है।
12. प्रधानमंत्री का 'ई-विद्या' मंच एक डिजिटल पहल है, जो दिव्यांग विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पहचानता है। इस प्रकार सी.आई.ई.टी. की डिजिटल पहल समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा बनाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

सहयोग कार्यक्रम एवं योजनाएँ

सी.आई.ई.टी. विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता है, जैसे— यूनेस्को, समग्र शिक्षा तथा गैर-सरकारी संगठन इत्यादि के साथ मिलकर कार्य करने से समावेशी डिजिटल शिक्षा में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे समावेशी शिक्षा हेतु सरकारी पहल के साथ जुड़ने और सामुदायिक स्तर पर इसके कार्यान्वयन के लिए सकारात्मक प्रयास का प्रतिफल निकल पाएगा। भविष्य में गुणवत्तापूर्ण सामग्री की गुणवत्ता तथा अधिक विकसित करने और पहुँच बढ़ाने पर कार्य हो, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के साथ साझेदारी हो, एवं दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु एआई संचालित व्यक्तिगत शिक्षण उपकरण विकसित करना भी प्रस्तावित है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मज़बूत करना भी अति-आवश्यक योजनाओं में से एक है।

इस प्रकार देखा जा सकता है कि सी.आई.ई.टी., रा.शै.अ.प्र.प. की डिजिटल पहल सभी के लिए विशेषकर दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु समावेशी और समान शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके और इसे शैक्षणिक प्रथाओं के साथ एकीकृत करके सी.आई.ई.टी. इन विद्यार्थियों की विविध शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करता है इससे उनके शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

भारतीय पुनर्वास परिषद की पहल

समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) का सार्थक योगदान है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित आर.सी.आई. जहाँ एक ओर भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है वहीं दूसरी ओर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पुनर्वास सेवाओं के विकास, मानकीकरण और विनियमन के लिए भी ज़िम्मेदारी उठा रहा है। आर.सी.आई. अपने मुख्य उद्देश्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या विकास, विनियमन और प्रत्यायन एवं जागरूकता पर विशेष बल देता है। विशेष और समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने से लेकर समावेशी शिक्षा हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रमों को डिज़ाइन करने और उन्हें कार्यान्वित करने के साथ-साथ प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों को विनियमित करना और मान्यता देना, इसके महत्त्वपूर्ण कार्यों में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जागरूकता अभियानों के माध्यम से शिक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिकारों और ज़रूरतों को बढ़ावा देना भी इसका एक अहम उद्देश्य है। आर.सी.आई. मुख्य रूप से सहयोगात्मक परियोजनाओं द्वारा समावेशी

शिक्षा सामग्री और नीतियों को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और विश्वविद्यालयों जैसे निकायों के साथ सहयोग करता है एवं सहायक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देते हुए कक्षाओं में स्क्रीन रीडर, टेक्स्ट-टू-स्पीच डिवाइस और वैकल्पिक संचार उपकरण जैसी सहायक तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

समावेशी शिक्षा हेतु अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट (दिल्ली) का कार्य

अमर ज्योति संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट भारत में एक अग्रणी संगठन है। यह जो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और दिव्यांग विद्यार्थियों को एक साथ सीखने के वातावरण में एकीकृत करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करता है। वर्ष 1981 में स्थापित अमर ज्योति का समावेशी शिक्षा मॉडल समानता, पहुँच और सशक्तिकरण के सिद्धांतों के अनुरूप है एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसके प्रमुख कार्यों को इस प्रकार देखा जा सकता है—

1. अमर ज्योति समावेशी शिक्षा को लागू करने वाले भारत के पहले संस्थानों में से एक है, जहाँ दिव्यांग और सामान्य बच्चे एक साथ सीखते हैं। यहाँ विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया है। यहाँ के शिक्षण में सामान्य विद्यार्थियों को सहानुभूति और सहयोग को बढ़ावा देने एवं अपने दिव्यांग साथियों की सहायता एवं समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
2. अमर ज्योति संस्थान अपने शैक्षिक ढाँचे के भीतर पुनर्वास सेवाओं को एकीकृत करती है जो फिजियोथेरेपी और व्यावसायिक थेरेपी के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु परिसर में थेरेपी सेवाएँ देती है। संचार चुनौतियों वाले विद्यार्थियों की सहायता के लिए वाक् और भाषा थेरेपी प्रस्तुत करती है। यहाँ चिकित्सा सहायता तथा सुधारात्मक सर्जरी की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाती है।
3. शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अमर ज्योति संस्थान समावेशी शिक्षाशास्त्र में शिक्षकों को प्रशिक्षित करता है। संस्थान नियमित रूप से यू.डी.एल., प्रौद्योगिकी और व्यवहार प्रबंधन जैसे विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त समावेशी शिक्षा और विशेष शिक्षा में पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु विश्वविद्यालयों को सहयोग करता है।
4. यह संस्थान दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है, जिसमें रोज़गारपरक कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे— कंप्यूटर शिक्षा, सिलाई और कढ़ाई, मोमबत्ती और साबुन बनाना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इत्यादि।
5. इस संस्थान द्वारा कौशल विकास और सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत जीवन कौशल प्रशिक्षण में विद्यार्थियों के सामाजिक, भावनात्मक और व्यावहारिक कौशल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त व्हीलचेयर खेल और पैरा

एथलेटिक्स सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कला कार्यशालाओं और खेल आयोजनों में समावेशी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है।

6. अमर ज्योति संस्थान समावेशी शिक्षा के महत्त्व के बारे में माता-पिता, समुदायों और स्थानीय हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। यह संस्थान दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए ग्रामीण और वंचित समुदायों के साथ जुड़ता है। यह संस्थान सक्रिय रूप से समावेशी शिक्षा पद्धतियों पर अनुसंधान करता है और अन्य विद्यालयों और संगठनों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत बदलावों की वकालत करता है।

उपलब्धियाँ और मान्यता

अमर ज्योति संस्थान के समावेशी शिक्षा मॉडल को यूनेस्को और अन्य वैश्विक संगठनों द्वारा समावेशी शिक्षा में सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में मान्यता दी गई है। संगठन को इसके उत्कृष्ट कार्य हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, यूनेस्को-एन.ओ.एम.ए. साक्षरता पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अमर ज्योति संस्थान के समावेशी शिक्षा मॉडल को भारत के विभिन्न विद्यालयों और संगठनों के साथ विदेशों में भी अपनाया गया है। अमर ज्योति संस्थान ने शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 और आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम, 2016 के तहत समावेशी शिक्षा नीतियों के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कार्यवाही योग्य कदम

विशेष विद्यार्थियों हेतु समावेशी शिक्षा के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समावेशी शिक्षा दृष्टिकोण को लागू करने के लिए शिक्षकों, नीति निर्माताओं और अभिभावकों से सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक सहायक और न्यायसंगत शिक्षण वातावरण बनाने में मदद करने के लिए प्रत्येक हितधारक समूह के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं—

1. **शिक्षकों के लिए** — शिक्षक समावेशी कक्षाएँ बनाएँ जिसमें हीन भावना को समाप्त करने हेतु विद्यार्थियों के बीच सहानुभूति और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने से विद्यार्थियों में बौद्धिक चेतना का तीव्र विकास होगा। शिक्षकों को विभेदित शिक्षण विधियों, जिसमें सामान्य और विशेष विद्यार्थियों के बीच बिना भेदभाव के समान शिक्षा का प्रसार हो, उपयोग करना चाहिए जो विविध सीखने की क्षमताओं को पूरा करती हैं। शिक्षकों को नियमित रूप से पेशेवर प्रशिक्षण लेकर अपना विकास करना होगा। समावेशी शिक्षण युक्तियों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता करें। विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करें। व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएँ (आई.ई.पी.) विकसित करने हेतु विशेष शिक्षकों, परामर्शदाताओं के साथ काम करें। दिव्यांग विद्यार्थियों को उनके सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों से निपटने के लिए मार्गदर्शन लें। सहायक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएँ। पाठ्यक्रम में स्क्रीन रीडर, ऑडियो पुस्तकें

और टेक्स्ट-टू-स्पीच से संबंधित सॉफ़्टवेयरों व उपकरणों के प्रयोग को सुनिश्चित करें।

2. **नीति निर्माताओं के लिए** — नीति निर्धारित समावेशी शिक्षा के लिए पर्याप्त फंडिंग सुनिश्चित करें क्योंकि सुलभ बुनियादी ढाँचे के निर्माण, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने और सहायक प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करने हेतु पर्याप्त बजट आवंटित करने की आवश्यकता है। इस प्रयास के अंतर्गत समावेशी शिक्षा प्रथाओं को लागू करने वाले विद्यालयों के लिए सब्सिडी या अनुदान दिया जाना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मज़बूत करें। सेवा-पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेशी शिक्षा मॉड्यूल को अनिवार्य करना आवश्यक है। विशेष शिक्षा में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय और क्षेत्रीय केंद्र स्थापित कर उसे जागृत करने का प्रयास करें तथा निगरानी तंत्र विकसित करें। समावेशी शिक्षा नीतियों के अनुपालन में विद्यालयों के नियमित मूल्यांकन के लिए रूपरेखा भी बनाएँ तथा बुनियादी ढाँचे का विस्तार करें। सुनिश्चित करें कि सभी विद्यालय यू.डी.एल. मानकों का अनुपालन करें। विद्यालयों और परिवारों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने हेतु और अधिक सुसज्जित संसाधन केंद्रों की स्थापना आवश्यक है।

3. **माता-पिता के लिए**— अपने बच्चे की ज़रूरतों को समझने हेतु माता-पिता शिक्षकों के साथ मिलकर काम करें ताकि विद्यार्थियों को पिछड़ने से रोका जा सके, क्योंकि यह विषय विशेष विद्यार्थियों के हित से जुड़ा है। अतः माता-पिता का कर्त्तव्य अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है। माता-पिता की विद्यार्थियों से संबधित व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएँ (आई.ई.पी.) बनाने और निगरानी करने में सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, माता-पिता को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और अन्य प्रासंगिक कानून, जैसे— दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अपने बच्चे के अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक समूहों सहित उपलब्ध संसाधनों और सहायता प्रणालियों को भी विद्यार्थियों के परिजनों द्वारा समझना अतिआवश्यक है। अनुभव और सलाह साझा करने हेतु दिव्यांग विद्यार्थियों के माता-पिता अन्य माता-पिता से जुड़कर इस संदर्भ में एक दूसरे के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। समावेशन और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यालय और सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल होना भी माता-पिता का एक आवश्यक कर्त्तव्य बन जाता है। प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चे को सामाजिक, भावनात्मक और जीवन कौशल विकसित करने के अवसर प्रदान करें। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि माता-पिता विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ाने हेतु उनकी प्रत्येक उपलब्धियों पर खुशी मनाएँ और उनको प्रोत्साहित करें।

सहयोगात्मक प्रयास— एक एकीकृत दृष्टिकोण

शिक्षकों, अभिभावकों और नीति निर्माताओं को मिलकर समावेशी शिक्षा का समर्थन करने वाला एक

पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करते हुए दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा में सकारात्मक बदलाव ला सके। नियमित संचार, साझा ज़िम्मेदारी और निरंतर सुधार सफलता की कुंजी होती है। अतः इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना, कार्यशालाओं का आयोजन करना और गैर-सरकारी संगठनों और व्यवसायों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना एक समावेशी समाज के निर्माण में सहयोग कर सकता है। इस प्रकार हितधारक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को वास्तविकता में बदल सकते हैं जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक बच्चे को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना-गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा उज्ज्वल भविष्य तक पहुँच हो सके।

निष्कर्ष

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली को वास्तव में समावेशी प्रणाली में बदलने के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस शिक्षा नीति में वर्णित प्रावधानों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि शिक्षा केवल एक विशेषाधिकार नहीं है बल्कि प्रत्येक बच्चे के लिए एक मौलिक अधिकार है जिसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं। हालाँकि, इस दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए नीति से अधिक सभी हितधारकों से अटूट प्रतिबद्धता, सहयोग और कार्यवाही की अभिलाषा आवश्यक प्रतीत होती है। इस संदर्भ में शिक्षकों की भूमिका अति महत्त्वपूर्ण है। शिक्षकों को सहानुभूतिपूर्ण तथा अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने में नेतृत्व प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नीति-निर्माताओं को आवश्यक संसाधन, बुनियादी ढाँचा और जवाबदेही तंत्र प्रदान करने हेतु हमेशा तत्पर होना चाहिए। माता-पिता और समुदायों को समावेशिता का समर्थन करना चाहिए और विद्यार्थियों की अनूठी यात्राओं का सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए। एकसाथ मिलकर किए गए, ये सभी प्रयास उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं जो दिव्यांग विद्यार्थियों को समान अवसरों तक पहुँचने से रोकते हैं। समावेशी शिक्षा केवल कानूनों या नीतियों के अनुपालन के बारे में नहीं है। यह एक ऐसे समाज के निर्माण के विषय में है जहाँ विद्यालयी शिक्षा में न्यायसंगत एवं समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती हो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अपेक्षित है। समावेशी प्रथाओं में निवेश करके हम सभी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की नींव रखते हैं। अतः हम सब को मिलकर समावेशी शिक्षा को सुगम बनाने में चुनौतियों का सामना करते हुए उपयुक्त समाधानों के साथ क्रियान्वित करना होगा।

सदंर्भ

मानव संसाधन विकास मत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* भारत सरकार. नई दिल्ली.

राज्य शैक्षिक अनसुंधान एवं प्रशिक्षण परिषद. 2016. *एम.टी. प्रोग्राम*, एस.सी.ई.आर.टी. दिल्ली सरकार. https://scert.delhi.gov.in/scert/mt-program दिनांक 9 नवंबर 2024 को देखा गया।

शिक्षा मंत्रालय. *वार्षिक रिपोर्ट (हिंदी) 2020–21*. भारत सरकार, नई दिल्ली. https://www.education.gov.in/en/documents_reports दिनांक 4 नवंबर 2024 को देखा गया।

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग. 2022. *समग्र शिक्षा— इम्प्लिमैनटेशन फ्रेमवर्क*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. नई दिल्ली. https://dsel.education.gov.in/hi/node/2172 दिनांक 5 नवंबर 2024 को देखा गया।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2024. *नेशनल गाइडलाइन एंड इम्प्लिमैनटेशन फ्रेमवर्क ऑन एक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन*. https://dsel.education.gov.in/inclusive-education दिनांक 29 नवंबर 2024 को देखा गया।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम. 2016. https://depwd.gov.in/acts/ दिनांक 22 नवंबर 2024 को देखा गया।

https://rehabcouncil.nic.in/ दिनांक 2 दिसंबर 2024 को देखा गया।

अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट. समावेशी शिक्षा एवं पुनर्वास सेवाएँ. https://amarjyotirehab.org/ दिनांक 23 अक्तूबर 2024 को देखा गया।